

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 1.4625 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 8.50 लाख प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 12.00 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेंट प्रतिशत की दर से रु० होता है।

प्रति हस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसीलदार
चोपडा
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक १८/०३/२००६ के अनुसार निम्नलिखित

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र Open / Forest/Dense Forest/ Semi Dense Forest को प्रेम्सी में आता है। जिसे हेतु एन०पी०वी० की धनराशि

की प्रति मा० ६.१२०६ रु० की दर से जमा करायी जायेगी। उक्त धनराशि एन०पी०वी० द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल/आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र Open Forest/Dense Forest/Semi Dense Forest की श्रेणी में आता है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि की प्रति है० दर रुपये 6,57,000.00 (द.वा.र.व. खाताब नं. हजार 2125) है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रु० 9,60,863.00 (न.वा.र.व. खाताब नं. हजार 2125) मात्र किया गया है, जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो. वि. वि.
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

Block: Angastymuni

Dist: Rudrapur

Not Applicable because Area is Less than 5 Ha.

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

1	Total cost (Investment incurred)	Remarks
(A)	Construction Cost of Project for 2.775 Km	Lacs
(B)	N.P.V. Amount	Lacs
(C)	Total	Lacs
2	Benefit from 2.775 Km road (Taking Age of Road As 50 Years)	Lacs
(A)	Estimated Number of Shops and Establishments to be established after construction of Road	Lacs
(B)	Taking minimum benefit for per shop per day = Rs 20	Lacs
(C)	Benefit for 10 shop per month = 10 x 20 x 20 = 4000 Lacs	Lacs
(D)	Benefit for 1 year = 4000 x 12 = 48000 Lacs	Lacs
(E)	Benefit for 50 year = 48000 x 50 = 2400000 Lacs	Lacs
(F)	Direct Employment of Labourers	Lacs
(G)	Benefit for an average of 10000	Lacs
(H)	Benefit for 10000 = 10000 x 20 = 200000 Lacs	Lacs
(I)	Benefit for 50 year = 200000 x 50 = 10000000 Lacs	Lacs
(J)	Employment of Labourers due to other activities like transportation, market development etc.	Lacs
(K)	Take = 10 people per month = 6000	Lacs
(L)	Benefit for 1 Year = 6000 x 12 = 72000 Lacs	Lacs
(M)	Benefit for 50 year = 72000 x 50 = 3600000 Lacs	Lacs
(N)	Increase in productivity	Lacs
(O)	Total cost of Benefit ratio = 2400000 / 3600000	Lacs
(P)	Therefore, construction of Road is economically viable and worth the cost.	Lacs

जनपद

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिरासी अभियन्ता

प्रा० खण्ड लो० नि० वि०

प्रा० खण्ड लो० नि० वि०

प्रा० खण्ड लो० नि० वि०

रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रमाणित करने वाला
प्रमाणित करने वाला
रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरणीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरणीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पूर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित वन वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0

रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता

प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0

रुद्रप्रयाग

अधिशारी अभियन्ता

प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0

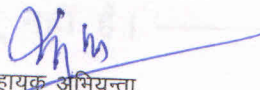
रुद्रप्रयाग

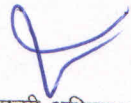
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


कनिष्ठा अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिरासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

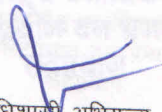
लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमिवर्षों की लीज पर ली जा रही है।

—लागू नहीं है।—


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

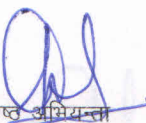

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

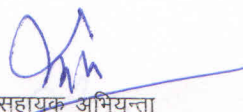

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

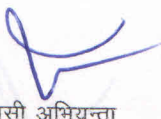
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

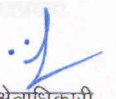
प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

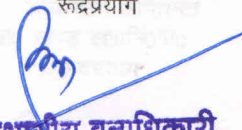
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है।


कनिष्ठा अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

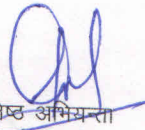

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

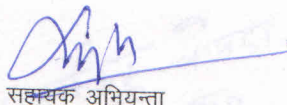

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

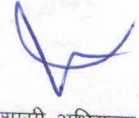
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

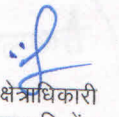
SCALE : N.T.

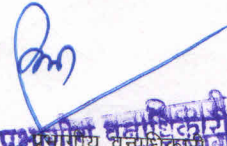
प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिरासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

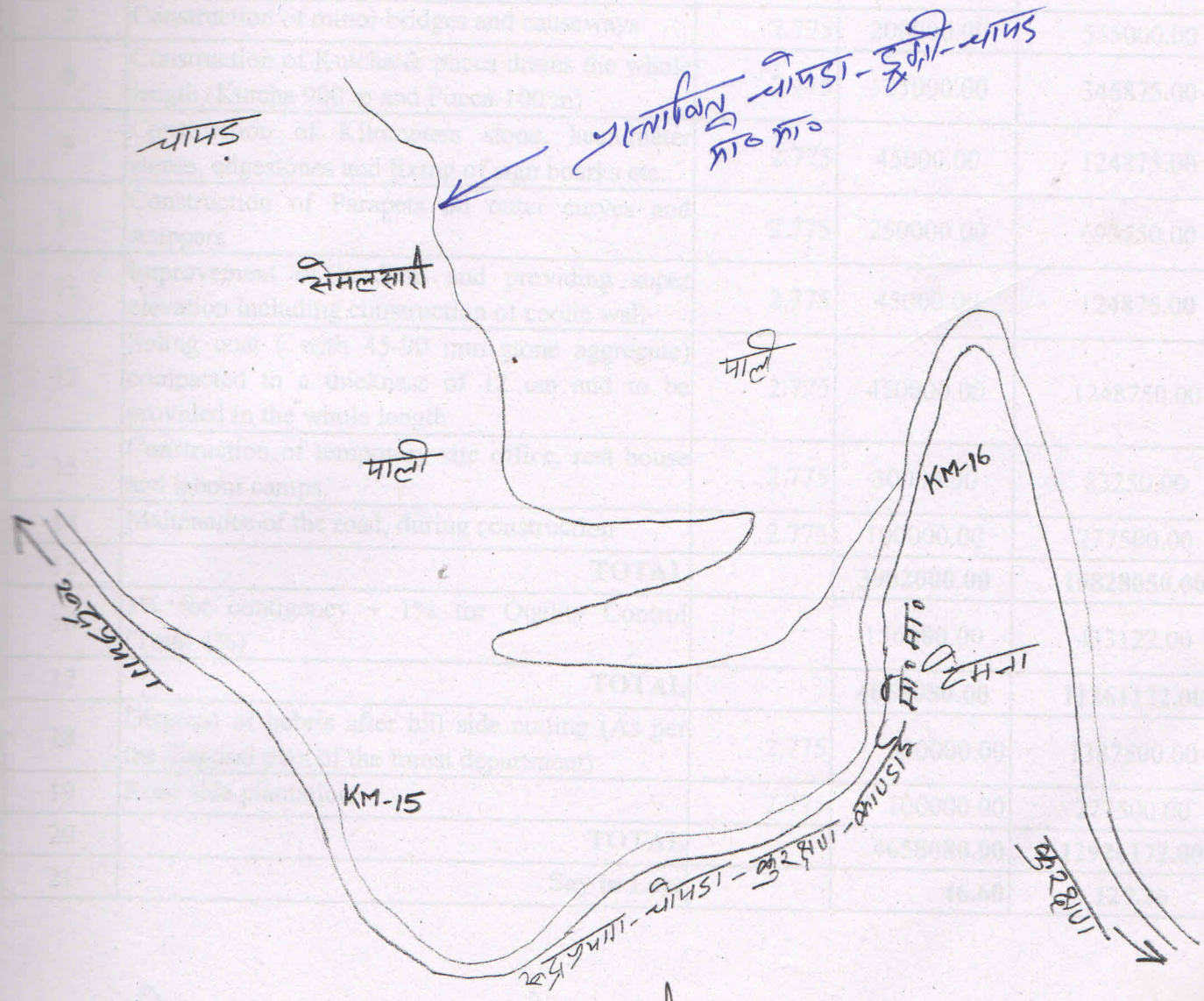

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


प्रभारित वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- (रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड - जगतमूर्ति में शिव का के शक्ति-चौमडा-डूंगी-चापड़ मो. मार्ग के निर्माण हेतु लीट निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव (वा.हस्ता.प्र. 2.775 किमी०)

परियोजना का ले-आउट प्लान

SCALE :- N.T.



[Signature]
AAE

चौमडा

[Signature]
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

[Signature]
अधिशान्ति अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.
रुद्रप्रयाग

योजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोमडा-हुंगरी-चापडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का मद वार विवरण

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर	लागत
1	2			3
1	Plotting cutting line at site, according to the alignment as finalized in stage 1	2.775	5000.00	13875.00
2	Construction of back cutting line/pillars and job pillars	2.775	12000.00	33300.00
3	Compensation for damages to crops, land and existing buildings etc.	2.775	200000.00	555000.00
4	Hill side cutting / filling for road construction	2.775	1500000.00	4162500.00
5	Construction of Retaing walls and breast walls	2.775	450000.00	1248750.00
6	Construction of scuppers and RCC culverts (of minimum 1 m span) along with catch pit.	2.775	490000.00	1359750.00
7	Construction of minor bridges and causeways	2.775	200000.00	555000.00
8	Construction of Kutcha & pucca drains the whole length (Kutcha 900 m and Pucca-100 m)	2.775	125000.00	346875.00
9	Construction of Kilometers stone, hectometer stones, edgestones and fixing of sign boards etc.	2.775	45000.00	124875.00
10	Construction of Parapets on outer curves and scuppers	2.775	250000.00	693750.00
11	Improvement of gradient and providing super elevation including construction of coolie wall	2.775	45000.00	124875.00
12	Soling coat (with 45-90 mm, stone aggregate) compacted to a thickness of 12 cm and to be provided in the whole length	2.775	450000.00	1248750.00
13	Construction of temporary site office, rest house and labour camps.	2.775	30000.00	83250.00
14	Maitenance of the road, during construction	2.775	100000.00	277500.00
15	TOTAL		3902000.00	10828050.00
16	3% for contingency + 1% for Quality Control (Total 4%)		156080.00	433122.00
17	TOTAL		4058080.00	11261172.00
18	Disposal of bebris after hill side cutting (As per the disposal plan of the forest department)	2.775	500000.00	1387500.00
19	Road side plantation	2.775	100000.00	277500.00
20	TOTAL		4658080.00	12926172.00
21	Say in Lacs		46.60	129.26

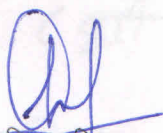
सहायक अभियन्ता
 प्रादेशिक विकास विभाग
 रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि. वि.
 रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

यह मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य है।



कमिश्नर अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



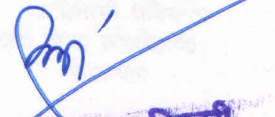
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग



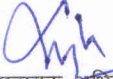
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

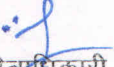
राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना स्थल की दूरी
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य . केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से उक्त परियोजना की दूरी लगभग 87 किमी० है। (दूरी मोटर मार्ग द्वारा)


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

रसोई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग।

देशाध्यक्ष

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंगरी-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं

मार्ग/सेतु की लम्बाई (वास्तविक) — 2.775 किमी०

मार्ग में पड़ने वाले ग्राम — आबादी

टेमना — 97

पाली — 75

डूंगरी — 447

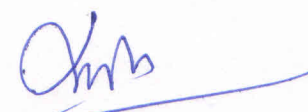
सेमलसारी — 98

कुल — 717

मार्ग/सेतु के प्रारम्भिक बिन्दु के अक्षांश :- 30°17.284'उ०

देशान्तर :- 078°58.499'पू०


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

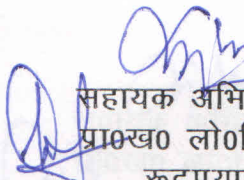

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिरासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

भू-संरक्षण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान भू-वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू-संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मार्ग पर पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन ही किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थलो पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चौपड़ा झूंग्री चापर मोटर मार्ग 1.4625 हे० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :-1.625 किमी०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध /प्रति किमी०) $100 \times 1.625 = 163$ पौध

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - अगस्तमुनि रेंज

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमाकन	1.625 है०	78.000	126.750
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.625 है०	2543.000	4132.375
3	ट्री गार्ड करना	163 है०	1350.000	220050.000
4	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	163 गडढा	5.420	883.460
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	163 पौध	4.300	700.900
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	1.625 है०	624.000	1014.000
	योग - प्रथम चरण			226907.485

द्वितीय चरण

1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	163	पौध	0.97	1.58
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	163	पौध	1.20	195.60
3	ट्री गार्ड ढुलान करना	163	L.S.	55.000	8965.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	163	L.S.	50.000	8150.000
5	50 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि०मी०	163	पौध	6.00	244.50
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	163	पौध	1.89	308.07
7	निराई गुडाई व मल्विंग (दो बार)	163	पौध	1.11	180.93
8	खाद व दवा पर व्यय	1.625 है०		950.00	1543.75
9	प्रथम वर्ष में देख -रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	1.625 है०		468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	1.625 है०		L-S	2500.00
	योग- द्वितीय चरण				31215.43
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण				258122.92

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.625 है०		468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य	1.625 है०		310.00	503.75
	योग- तृतीय चरण				9629.75

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.625 है०		468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य	1.625 है०		310.00	503.75
	योग- चतुर्थ चरण				9629.75

चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख र कार्य 12 माह	1.625	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
	योग— पंचम चरण				9126.00
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.6250	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	1.6250	है०	310.00	503.75
	छठवां चरण का योग :-				9629.75
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.6250	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	1.6250	है०	310.00	503.75
	सातवां चरण का योग :-				9629.75
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.6250	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	1.6250	है०	310.00	503.75
	आठवां चरण का योग :-				9629.75
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.6250	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	1.6250	है०	310.00	503.75
	नवें चरण का योग :-				9629.75
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.6250	है०	468 प्रतिमाह / प्रति है०	9126.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	1.6250	है०	310.00	503.75
	दसवें चरण का योग :-				9629.75
कुल धनराशि				प्रथम चरण	226907.49
				द्वितीय चरण	31215.43
				तृतीय चरण	9629.75
				चतुर्थ चरण	9629.75
				पंचम चरण	9126.00
				षष्ठम चरण	9629.75
				सप्तम चरण	9629.75
				अष्टम चरण	9629.75
				नवम चरण	9629.75
				दशम चरण	9629.75
				कुल योग	334657.17
कुल योग—					334657.17
सिलिंग के अनुसार देय दर / 200000.00 रू०/किमी०		1.6300	K.M.		326000.00

प्रतिष्ठापित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को तन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

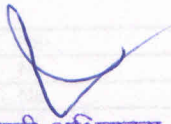
प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान-

किमी० 1	-	हेमी० 8-10
किमी० 2	-	हेमी० 4-6
किमी० 3	-	हेमी० 4-6


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
रुद्रप्रयाग